न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर

मुकदमा नम्बर 62 / 2021

निर्णय दिनांक: 23.7.2021

ऑनलाईन नम्बर 2021 / 154

कुम्भाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ

प्रतिवादी

उपस्थिति:–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए 1955 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट

यह वाद कुम्भाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1035 तादादी 4.9200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 941 तादादी 6.1900 हैक्टेयर खसरा नम्बर935 तादादी 5.1800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 335 तादादी14.5900 हैक्टेयर रोही बिग्गा मे स्थित है। वादगत खेतो मे वादी की माता रामप्यारीदेवी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्जहैवादी की माता का स्वर्गवास दिनांक 02.07.2011 को हो चुका है। उक्त खेत मे वादी के माता रामप्यारी का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय रामप्यारी पुत्री जीवणराम दर्ज कर दिया जबकि रामप्यारी पत्नि जीवनराम दर्ज होना था जो सही नाम है। वादी की माता नाम रामप्यारी पत्नि जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पुत्री जीवणराम दर्ज हो गया जिसको वादी सही नाम रामप्यारी पत्नि जीवनराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 16.12.2019 को राजस्व रिकार्ड की नक्ले निकलवाई तो वादी को पता चला की वादगत खेत में वादी की माता रामप्यारी पत्नि जीवनराम का नाम रामप्यारी पुत्री जीवनराम दर्ज कर दिया है जिससे वादी की माता का विरासतन नामान्तरण दर्ज नही हो रहा जिसको सही करके विरासतन नामान्तरण दर्ज करने का 1से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद हेतुक हासिल है। वादगत खेत में राजस्व रिकार्ड मे वादी की माता रामप्यारी पत्नि जीवणराम दर्ज होना था जबकि प्रतिवादी सं. 1 के कर्मचारियो ने वादी के माता का नाम रामप्यारी पुत्री जीवणराम दर्ज कर दिया जिसको सही कर[illegible] ने उक्त दावा मे राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया [illegible] के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस [illegible] को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का [illegible] तो काफी की [illegible] समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति [illegible]गी। उक्त दावा मे स्टे[illegible] विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है इसलिए स्टेट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही बिग्गा के खसरा नम्बर 1035 तादादी 4.9200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 941 तादादी 6.1900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 935 तादादी 5.1800 हैक्टयर खसरा नम्बर 335 तादादी 14.5900 हैक्टेयर के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:18 IST
Reason: SelfAttested

को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क व समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमाये जाने की कृपा करें:–

(क) वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1035 तादादी 4.9200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 941 तादादी 6.1900 हैक्टैयर खसरा नम्बर 935 तादादी 5.1800 हैक्टयर खसरा नम्बर 335 तादादी 14.5900 हैक्टेयर रोही बिगा में वादी की माता रामप्यारी पुत्री जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पत्नि जीवणराम घोषित किया जाकर विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जावे ।

(ख) प्रविवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 1035 तादादी 4.9200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 941 तादादी 6.1900 हैक्टैयर खसरा नम्बर 935 तादादी 5.1800 हैक्टयर खसरा नम्बर 335 तादादी 14.5900 हैक्टेयर रोही बिगा में वादी की माता रामप्यारी पुत्री जीवणराम के स्थान पर रामप्यारी पत्नि जीवणराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकन जवाब पेश किया कि खेत खसरा नम्बर 1035 तादादी 4.9200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 941 तादादी 6.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 935 तादादी 5.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335 तादादी 14.5900 हैक्टेयर रोही बिग्गा में रामप्यारी पुत्री जीवणराम के बजाय रामप्यारी पत्नी जीवणराम किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जात है तो उचित होगा। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करनें में कोई आपति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1035 तादादी 4.9200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 941 तादादी 6.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 935 तादादी 5.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335 तादादी 14.5900 हैक्टेयर रोही बिग्गा में रामप्यारी पुत्री जीवणराम के बजाय रामप्यारी पत्नी जीवणराम नाम शुद्ध करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी:— दिव्या (आर.ए.एस.)

कुम्भाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

दावा बाबत:—घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 62/2021

निर्णय दिनांक : 23.7.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से राजाराम नैण मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1035 तादादी 4.9200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 941 तादादी 6.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 935 तादादी 5.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335 तादादी 14.5900 हैक्टेयर रोही बिग्गा में रामप्यारी पुत्री जीवणराम के बजाय रामप्यारी पत्नी जीवणराम नाम शुद्ध करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। .

लीज..0..मुबलिग..0..बाबत..0..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह..0..फीसदी सालाना आज को जारी.........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

वसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक23 माह07 सन् 2021 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ